# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**प्रकरण अपील (रसद)संख्या 13/25** **वर्ष 2025**

**जीसीएमएस संख्या 2025/353**

बउनवानीः—कृष्णावतार गर्ग पुत्र श्री कन्हैया लाल गर्ग नि0 वार्ड नम्बर 11 बी नगर परिषद स0मा0

बनाम

1. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर मिसल संख्या 15/2025 द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.9.2025 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री हरीश भारद्वाज — वकील अपीलान्ट

श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— **दिनांकः— 25.3.2026**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 4.9.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस मे अंकित किया कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 11बी, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर (राज.) की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 500/85 है एवं प्रार्थी को रसद सामग्री वितरण हेतु पोस मशीन संख्या 9576 आवंटित की गयी है एवं प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के वार्ड नम्बर 11बी, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.05.2025 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गयी जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30—05—2025 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया एवं आदेश दिनांक 10—06—2025 द्वारा प्रार्थी की दुकान को अस्थायी रूप से वार्ड नम्बर 12 के डीलर पवन जैन के अटैचमेन्ट किया गया। यह भी अंकित किया कि जिला रसद अधिकारी,सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11—06—2025 द्वारा प्रार्थी को कारण बताओ

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नोटिस जारी किया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थी की दुकान में 6279.46 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये जाने का आरोप लगाते हुए जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी 19.06.2025 नियत की गयी जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य सबूत प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वक्त निरीक्षण के दौरान प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री सही पायी गयी, लेकिन निरीक्षण दल द्वारा प्रार्थी की दुकान के पीछे वाला कमरा जो कि उचित मूल्य दुकान के नक्शे में शामिल नहीं था बल्कि उक्त कमरा राकेश गुर्जर निवासी छान द्वारा किराये पर लिया हुआ था, में मौजूद गेहूं के कट्टों को जो कि कृषक राकेश गुर्जर के स्वयं के खुद काश्त का गेहूं था, जो कृषक राकेश गुर्जर सवाईमाधोपुर मंडी में बेचने के लिये लाया था जो कि उक्त किरायेशुदा परिसर/कमरे में मौजूद गेहूं के कट्टों को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर प्रार्थी के ऊपर उक्त आरोप अंकित किया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृषक राकेश गुर्जर द्वारा भी जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 28.05.2025 को प्रार्थी के किरायेशुदा परिसर से जब्त गेहूं को दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उचित रूप से कन्सीडर किये बिना एवं प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी के प्राधिकार पत्र अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए अपने नॉन स्पीकिंग आदेश दिनांक 04.09.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी एवं ना ही दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवाये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य दुकान के पीछे वाला कमरा जो कि स्वीकृत उचित मूल्य दुकान से संबंधित नहीं था को बिना किसी अधिकार के जांच की जाकर उक्त कमरे में कृषक राकेश गुर्जर निवासी छान के खुद काश्त के गेहूं जो कि कृषक राकेश गुर्जर गेहूं के 125 कट्टों को कृषि उपज मंडी सवाईमाधोपुर में बेचने के लिए दिनांक 27.05.2025 को लाया था लेकिन मंडी में भाव नहीं आने के कारण कृषक राकेश गुर्जर द्वारा प्रार्थी के मकान में किराये का कमरा लेकर उक्त गेहूं के 125 कट्टे जो सूतली से हाथ से सिले हुए रखे हुए थे, को जबरन प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर प्रार्थी के ऊपर 6279.46 किलोग्राम गेहूं स्टॉक से अधिक पाये जाने का आरोप अंकित किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण उक्त बाबत् जांच दल को अवगत करा दिया गया लेकिन जांच दल द्वारा प्रार्थी को धमकाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये गये एवं उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी के गोदाम में स्टॉक के अनुसार पूर्ण रसद सामग्री मिलने के बावजूद बिना किसी उचित कारण के प्रार्थी के ऊपर 6279.46 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलने का आरोप अंकित किया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं थी एवं उक्त गेहूं प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं नहीं था बल्कि कृषक राकेश गुर्जर की खुद काश्त का गेहूं था। जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 04.09.2025 में मुख्य रूप से यह माना है कि प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा जवाब असंतोषप्रद पाया गया। जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ कृषक राकेश गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान में वरवक्त निरीक्षण स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री मौजूद थी बावजूद इसके जांच दल द्वारा बिना किसी उचित कारण के उक्त कृषक के गेहूं को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का माना जाकर आरोप प्रमाणित माना गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री का कैसे और किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है के संबंध कोई निष्कर्ष उक्त विवादित आदेश में उल्लेखित नहीं है इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का एवं कैसे उल्लंघन किया है इत्यादि बाबत् कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया

.....(2).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

है, जबकि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार डीलर के प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का किस प्रकार उल्लंघन किया है इत्यादि बाबत् किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष उक्त विवादित आदेश में उल्लेखित नहीं है। प्रार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवम् प्रार्थी के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। संलग्न मकान नक्शे में कथित मकान संतोषदेवी, कृष्णावतार गर्ग का मकान अंकित हैं, प्रार्थी की दुकान का नक्शा, प्रथम दृष्ट्या साबित करता है कि रसद विभाग की कार्यवाही द्वेषपूर्ण एवं गुप्त मकसद की पूर्ति हेतु की गई थी, इस कारण ही रसद विभाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में बरामदगी स्थल का नक्शा नहीं बनाया है, फर्द मौका एवं जब्ती में मिथ्या तथ्य अंकित किया हैं कि "मौके पर दुकान के भीतर बने गोदाम में कुल जूट के कट्टे पृथक से रखे हुये पाये गये। प्रार्थी की दुकान में कोई भी कमरा मौजूद नहीं है, ना ही दुकान में से कमरे में जाने का रास्ता हैं। कमरा मकान के अंदर है, जिसका रास्ता स्वतंत्र है, रसद विभाग के अधिकारियों को उक्त मकान में न तो प्रवेश करने का अधिकार था ना ही उनके पास तलाशी लेने का अनुज्ञा पत्र था, कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अमजद अली बना पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय दिनांक 20.11.2023 पेश किया एवं गैस सलेण्ड जब्त करने का अधिकार सब इन्सपेक्टर को नही है कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त अवतार सिंह बनाम पंजाब सरकार निर्णय दिनांक 23.3.2023, पेश किया एवं तीन भाईयों की सामलाती कृषि भूमि मे उत्पन्न हुए 40 बोरी गेहूँ को घर पर रखने का कृषक को अधिकार है कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकार बनाम सनसिहं निर्णय दिनांक 11.4.1986 पेश किया। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी के द्वारा मौके पर ही अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि उक्त गेहूं राकेश गुर्जर का हैं, इसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा अधिकृत व्यक्ति राकेश गुर्जर की अनुपस्थिति में ताला तोड़कर गेहूं को अपने कब्जे में लिया है जो कि द्वेषपूर्ण कार्यवाही के अंतर्गत होना स्वयंसिद्ध करती हैं, उक्त गेहूं राकेश का होना साबित हैं। अतः श्रीमान् के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–09–2025 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाकर रसद सामग्री वितरण के आदेश पारित करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके अन्य कोई आदेश जो श्रीमान् प्रार्थी के हक में उचित हो, पारित करने की कृपा करें।

पैरोकार रसद द्वारा कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग वार्ड नम्बर 11 बी शहर जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्व प्रकरण संख्या 15/2025 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर जॉच करने पर क्रमशः मौके पर उचित मूल्य दुकानदार की पीओएस मशीन नम्बर 9576 की जॉच करने पर पीओएस मशीन में गेहूँ का ऑनलाईन स्टॉक 413.19 किलोग्राम दर्ज होना पाया इसके अलावा माह जून,2025 के पेटे खाद्य एवं आपूर्ति निगम, सवाईमाधोपुर की ओर से आपूर्ति किये गये गेंहूँ की मात्रा 2407.35 किलोग्राम के चालान की प्रति भी मौके पर प्रस्तुत की गयी। इसकी चालान संख्या CHAW00015118045 है। इस प्रकार वक्त जॉच उचित मूल्य दुकानदार की पीओएस मशीन मे दर्ज गेंहूँ के ऑनलाईन स्टॉक (413.19 कि.ग्रा.) तथा माह जून,2025 के पेटे आपूर्ति मे प्राप्त मात्रा (2407.35 किलोग्राम) के आधार पर कुल स्टॉक 2820.54 किलोग्राम होना चाहिए। उचित मूल्य दुकान मे मौके पर उपलब्ध गेंहूँ के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूँ का स्टॉक रिकार्ड के अनुसार वांछित मात्रा 2820.54 किलोग्राम के बजाय में 9100 किलोग्राम गेहूँ भौतिक सत्यापन मे उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार वांछित मात्रा 2820.54 किलोग्राम गेंहूँ के बजाय 9100 किलोग्राम गेहूँ पाया गया जो स्टॉक से 6279.46 किलोग्राम अधिक पाया गया है। उक्त अनियमितताओ के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्व संबंधित पुलिस थाने पर एफआईआर संख्या 0170 दिनांक 4.6.2025 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। उक्त अधिक पाये गये गेहूँ के सम्बंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया ओर ना ही अपने जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश

.....(3).....

(कान्ता राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

किया जिसके आधार पर उचित मूल्य दुकानदार पर लगाये गये आरोप निराधार साबित हो सके। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपनी अपील मे उक्त गेंहूँ श्री राकेश गुर्जर की स्वंय की कृषि भूमि मे पैदा हुए होना बताया है जिनके बैचने के लिए मण्डी मे लाना बताया है तथा मण्डी मे भाव कम होने के कारण अपीलान्ट के मकान मे कमरा किराये पर लेकर गेहूँ रखना बताया है किन्तु कथन के समर्थन मे कोई किरायानामा, अथवा अपने स्वंय के नाम की कृषि भूमि की खसरा गिरदावरी पेश नही की गयी प्रस्तुत खसरा गिरदावरी गीता पत्नि केलाश गुर्जर के नाम से है जो कि अपीलांट की मॉ के नाम है उक्त भूमि मे अपीलान्ट का कितना हिस्सा है अंकित नही किया गया है जिसके अभाव मे यह साबित नही होता है कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर की खेत की उपज हो। राकेश गुर्जर द्वारा अपीलान्ट के मकान मे कमरा किराये पर लेकर अपने गेहूँ रखने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा किरायानामा पेश नही किया गया है। यह भी तर्क दिया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तीनो न्यायिक दृष्टान्तो विषय वस्तु इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है।इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने उपर लगाये गये आरोपो के संबंध मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप निराधार साबित हो सके। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट उ0मू0 दुकानदार की पीओएस मशीन संख्या 9576 मे जॉच के दौरान 2820.54 किलोग्राम गेहूँ दर्ज था किन्तु दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 9100 किलोग्राम गेहूँ पाया गया जो पीओएस मशीन के स्टॉक से 6279.46 किलोग्राम गेहूँ अधिक था उक्त अधिक पाये गये गेहूँ के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर निवासी छाण के खेत की उपज है जिनको राकेश गुर्जर द्वारा अपीलान्ट के मकान मे कमरा किराये पर लेकर रखना बताया है किन्तु कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी या मकान का किरायानामा इत्यादि पेश नही किया गया है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर के थे तथा उसने अपीलान्ट के मकान मे कमरा किराये पर लेकर उक्त गेहूँ रखा हो। जहॉ तक अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस कमांक 984 दिनांक 11.6.2025 की पालना में दिनांक 19.6.2025 को प्रस्तुत जवाब नोटिश की प्रति से हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर दर्ज स्टॉक से 6279.45 किलोग्राम गेहूँ अधिक पाये जाने बाबत लगाये गये अरोप निराधार साबित हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार के कथनानुसार अपीलान्ट द्वारा पर लगाये गये आरोप बखूबी साबित होते है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही मे विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( काना राम )
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner